



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2009  
भाद्रपद 5, 1931 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1225/79-वि-1-09-1(क)11-2009

लखनऊ, 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विधि

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

(2) यह 27 अगस्त, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संख्या  
... 2008 की  
धारा 2 का  
संशोधन  
... धारा 3-क  
का बंधन समाप्त

2-उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 जिरा आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (क) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बड़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(तीन) धारा 3-क के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त कर की धनराशि।”

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बड़ा दी जाएगी अर्थात् :-

“3-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अतिरिक्त कर की बात के अतिरिक्त कर का उदग्रहण प्रतिकूल होते हुये भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का

दायी प्रत्येक धारहारी, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त माल के विक्रय या क्रय या दोनों के काराभेय आवर्त पर राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर जो 5 प्रतिशत से अधिक न हो, अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा। विभिन्न माल अथवा विभिन्न श्रेणियों के माल के सम्बन्ध में अलग-अलग दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अतिरिक्त कर का उदग्रहण एव भुगतान निम्नलिखित पर नहीं किया जाएगा.-

(क) अनुसूची-एक एवं अनुसूची-तीन के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर,

(ख) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्त्व के रूप में घोषित माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर;

(ग) राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे माल का विक्रय या क्रय।

(3) उपधारा (1) के अधीन भुगतान की गयी धनराशि, धारा 13 के उपबंधों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिये पात्र होगी।

(4) कोई व्यवहारी जो धारा 6 के अधीन कर सगाधान की सुविधा का उपयोग कर रहा है, अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में भी कर सगाधान की सुविधा का उपयोग करने का पात्र होगा।

(5) इस धारा के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त कर का उदग्रहण, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।”

निरसन और  
अपवाद

4- (1) उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या 1  
सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सार्वान समय पर प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 5 सन् 2008) को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :-

(क) अतिरिक्त कर का 'कर' की परिभाषा में सम्मिलित किया जाय;

(ख) अधिनियम के अधीन संदिय कर का अतिरिक्त माल का विक्रय या क्रय का अर्थ का कशधम आवर्त पर ऐसी दर पर जो 5 प्रतिशत से अधिक न हो, ब जिसेक मुगतान का असाधारण दायो है, अतिरिक्त कर की दर को गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिये राज्य सरकार का सशक्त किया जाय;

(ग) अतिरिक्त कर का उदग्रहण एवं मुगतान निम्नलिखित पर न किया जाय :-

(एक) अनुसूची-एक एवं अनुसूची-तीन के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट माल के, सशस्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त;

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्संयोग व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्त्व के रूप में घोषित माल के, सशस्थिति, विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में सश विनिर्दिष्ट व्यतहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे माल का विक्रय या क्रय;

(घ) अतिरिक्त कर की धनराशि को इनपुट क्रेडिट के लिये पात्र किया जाय।

मुंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये क्रिया कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यापाल द्वारा दिनांक 27 मई, 2009 को उत्तर प्रदेश मूल्य सम्बधित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2009) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,  
सचिव।

No. 1225 (2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)-11-2009

*Dated Lucknow, August 27, 2009*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 26, 2009.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT)  
ACT, 2009

(U.P. Act No. 21 OF 2009)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN  
ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2009. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on May 27 2009

Amendment of section 2 of the Act no. 5 of 2008

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principle Act, in clause (ag) after sub-clause (ii) the following sub-clause shall be inserted, namely :

“(iii) the amount of additional tax leviable under section 3-A

Insertion of new section 3-A

3. After section 2 of the principle Act, the following section shall be inserted, namely :-

“3-A (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, but subject to the provisions of sub-section (2), every dealer liable to pay tax under this Act shall be liable to pay in addition to the tax payable under any other provision of this Act, an additional tax on the taxable turnover of sale or purchase of goods or both, at such rate not exceeding five percent, as may be specified by the State Government by notification in the Gazette. Different rates may be specified in respect of different goods or different classes of goods.

(2) No additional tax under sub-section (1) shall be levied and paid on,—

(a) the turnover of sale or purchase or both as the case may be of goods specified in column 2 of Schedule I and Schedule III;

(b) the turnover of sale or purchase or both as the case may be of goods declared to be of special importance in the interstate trade or commerce under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(c) such sale or purchase, or sale or purchase of such goods by such class of dealers, as may be specified in the notification issued by the State Government under clause (c) of section 7.

(3) The amount paid under sub-section (1) shall be eligible for input tax credit in accordance with the provisions of section 15.

(4) Any dealer who avails the facility of composition of tax under section 6 shall also be eligible for availing the facility of composition with respect to additional tax.

(5) The Additional tax leviable under this section shall cease to be levied after a period of five years from the date of publication of the notification issued by the State Government under sub-section (1).

Repeat and Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2009 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principle Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principle Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

[With a view to augmenting revenues of the State it was decided to amend to the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008) to provide for—

(a) insertion of the additional tax in the definition of the tax;

(b) empowering the State Government to specify by notification in the *Gazette*, the rate of additional tax not exceeding 5% on the taxable turnover of sale or purchase of goods or both which the dealers liable to pay in addition to the tax payable under the Act;

(c) exemption from levy and payment of additional tax on,

(i) the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods specified in column 2 of Schedule I and Schedule III;

(ii) the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods declared to be of special importance in the interstate trade or commerce under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(iii) such sale or purchase, or sale or purchase of such goods by such class of dealers, as may be specified in the notification issued by the State Government under clause (c) of section 7;

(d) making the amount of additional tax eligible for input credit.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2009 (U.P. Ordinance no. 1 of 2009) was promulgated by the Governor on May 27, 2009.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,  
P.V. KUSHWAHA,  
Sachiv.